FORM NO. III

फर्द अहकाम

2019/00111

(नियम 26)

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

अज अदालत _____ मुकाम _____

राजु बनाम नारायण

किस्म मुकद्दमा ~~[illegible]~~ 128 RLA नं. 32/-19 सन् _____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.5.19	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा बोहड़ा ग्राम बोहड़ा की आ.न. 4423, 4425, 4434, 4448, 4488, 4495, 4505, 5533, 4607 की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजुदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये 600/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी	